

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 324]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 जुलाई 2014—श्रावण 6, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2014

क्र. एफ ए 1-2-2014-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम में, निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, भाग दो में, खण्ड (पन्द्रह) में,—

- (एक) मद (2) में, शब्द “और” का लोप किया जाए.
- (दो) मद (3) में, शब्द “उप लोक आयुक्त” के स्थान पर, शब्द “उप लोक आयुक्त, और” स्थापित किए जाएं,
- (तीन) मद (3) के पश्चात, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—
“(4) राज्य निर्वाचन आयुक्त”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2014

क्र. एफ ए 1-2-2014-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 1-2-2014-एक (1), दिनांक 28 जुलाई 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 28th July 2014

No. F. A.1-2-2014-One-(i).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Rules of Business, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, in PART II, in clause (xv),—

- (i) in item 2, the word "and" shall be omitted;
- (ii) in item 3, for the word "Up-Lokayukt", the word "Up-Lokayukt; and" shall be substituted;
- (iii) after item 3, the following item shall be inserted, namely :—

"4. State Election Commissioner."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. R. VISHWAKARMA, Dy. Secy.